फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक गिर्वा, उदयपुर

प्रार्थीः मैसर्स भास्कर बिल्ड बनाम विपक्षीः मैसर्स डंस्टन गुड्स

किस्म मुकदमाः– वाद प्रकरण संख्याः 43 / 23

दिनांक : 22.07.2025

पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 सपपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादी कम्पनी इस स्टेज पर आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहती है ना ही उक्त प्रकरण को आगे चलाना चाहती है, इसलिए प्रकरण को विड्रो के आधार पर खारीज फरमाया जावे।

वादी अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली एवं प्रार्थना पत्र का विस्तृत अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दायर कर राजस्व ग्राम सीसारमा के आराजी संख्या 1039 रकबा 3.7600 हैक्टयर भूमि का बंटवाड़ा चाहा गया है, किन्तु वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विचारधीन वाद में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहने हेतु निवेदन किया गया। जिससे हस्तागत वाद में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाकर वादी का वाद जरिये विड्रो खारिज किया जाता है। निर्णय सरेईजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सोनिका कुमारी आई.ए.एस.
सहायक कलक्टर फा.ट्रै.
गिर्वा–उदयपुर

Scanned with OKEN Scanner